

सफदरजंग अस्पताल में घूसखोरी रैकेट चला रहा है सर्जन डॉ. मनीष रावत

दिल्ली (मुन्ना प्रसाद) पांच दिसम्बर को उत्तर प्रदेश गांव अवरना जिला मठ की निवासी शीला देवी ने आरोप लगाया है कि सफदरजंग अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने मुंहमांग घूस नहीं मिलने पर उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं किया। शीला रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से पीड़ित है। गरीबी के चलते प्राइवेट अस्पतालों में अपना ऑपरेशन नहीं करा सकती। इसलिये अपनी बेटी सरिता और बेटे सोनू के साथ दिल्ली आ गई।

शीला ने दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में दिखाया तो न्यूरो सर्जन ने देखकर अतिशोघ्र ऑपरेशन कराने को कहा। अन्यथा बीमारी जानलेवा साक्षित हो सकती है। अम्बेडकर अस्पताल में

ऑपरेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण डॉक्टर ने चार दिसम्बर को सफदरजंग अस्पताल के लिये रेफर कर दिया था। वहां पांच नवंबर 2022 को सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी बार्ड के न्यूरो सर्जरी विभाग में शीला ने दिखाया। वहां पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष रावत ने जांच रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है।

डॉ. रावत ने आठ नवम्बर को भर्ती करने का पर्चा बनाया और एक कर्मचारी से मिलने को कहा। जिसने 60 हजार रुपये मांगे। शीला द्वारा असमर्थता जताने पर उसने कहा कि आठ नवम्बर को आना फिर बतायेंगे। शीला अपने एक रिश्तेदार उपेन्द्र को साथ लेकर आठ नवम्बर को

डॉ. मनीष के पास गई। वहां डॉक्टर से उपेन्द्र मिले तो उसने खुलेआम पैसे देने को कहा। उपेन्द्र द्वारा रसीद की मांग करने पर एक दूसरे डॉक्टर ने भर्ती की तारीख आठ नवम्बर को काटकर 12 बना दिया और कहा कि 12 को आना।

सूचना मिलने पर इस संवाददाता ने ऑनलाइन ही सफदरजंग अस्पताल के विजिलेंस विभाग में इसकी शिकायत की। दो दिन तक जवाब न आने पर विजिलेंस विभाग के कमरा नम्बर 518 में जाकर अधिकारी से बात की तो उसने डॉ. मनीष के पास भेज दिया। पर्चा लेकर उपेन्द्र डॉ. मनीष से मिलने गये तो उन्होंने कहा कि पैसा तो लगेगा ही। पैसा न होने की बात कहने पर फिर डॉक्टर ने भर्ती की तारीख 15 नवम्बर दी। 15 नवम्बर को जाने पर फिर वही बात कभी डॉक्टर तो कभी कर्मचारी 60 हजार मांगने लगे। फिर उपेन्द्र विजिलेंस विभाग के पास गए। 17-18 दिन चक्कर काटने व काफी विनती करने के बाद डॉ. मनीष ने 20 नवम्बर को न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती तो कर लिया। लेकिन अपने कर्मचारियों से पैसे मांगने का दबाव बनाता रहा। शीला के परिजनों द्वारा इतना विनती करने पर कि मैं बहुत गरीब हूं व मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद भी डॉ. मनीष का दिल नहीं पसीजा और ऑपरेशन नहीं किया।

न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती तमाम मरीजों ने कहा कि आप कितना भी विनती कर लो या मर भी जाओ तो भी ये डॉक्टर बिना पैसे लिये ऑपरेशन नहीं करेगा। इसके बाद डॉक्टर ने 25 नवम्बर को एक पर्चा बनाकर मेडिकल सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट कमरा नं. 17 में भेजा। वहां पर कर्मचारियों ने बेटे सोनू को बहुत डांटा और पैसे देने को कहा। पैसे न होने के कारण तमाम विनती करने के बावजूद भी डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया और मानसिक परेशान करता रहा। वहां अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों ने भी कहा कि हम सब से भी 60 हजार रुपये लिये हैं और डॉक्टर कर्मचारियों के माध्यम से ही छुप-छुप कर पैसा लेता है। पैसा न देने



पीड़ित
सुष्मा

मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, के न्द्रीय सतर्कता आयोग, मैडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया, सीबीआई निदेशक, मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चन्द्रचूड़ एवं चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल को भेजा है। शीला ने मांग किया है कि उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर डॉ. मनीष रावत व घूसखोरी रैकेट में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सफदरजंग अस्पताल में घूसखोरी का इतना बड़ा रैकेट चलाना अकेले एक डॉक्टर के बश का तो नहीं हो सकता। शीला की कहानी को सुनने से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि नीचे से ऊपर तक तमाम अधिकारी इसमें संलिपत हैं। और तो और इन अधिकारियों की निगरानी करने वाला विजिलेंस विभाग भी इनमें शामिल हो चुका है। सारे मामले की सूचना उक्त तमाम अधिकारियों को दिये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से सिद्ध होता है कि वे सब लोग भी इसमें शामिल हैं।

शीला ने रोते हुए कहा कि बड़े ही आशा और उम्मीद से दिल्ली आये थे कि बीमारी से मुक्त होकर घर जायेंगे। लेकिन डॉ. मनीष के नेतृत्व में घूसखोरी के कारण हम भगवान भरोसे घर जा रहे हैं। हम अपने खर्च के लिये गांव से 10 हजार रुपये कर्ज लेकर आये थे वो भी दिल्ली में एक महीने रहने पर खर्च हो गया। हम तो डॉक्टर को भगवान समझ रहे थे और मनीष जैसे डॉ. जिन्हें सरकार द्वारा मोटी तनखाह भी दी जाती है। फिर आर्थिक रूप से लाचार गरीब मरीजों के प्रति इ मानदार व संवेदनशील नहीं हैं।

शीला ने कहा कि घूसखोरी का रैकेट चलाने वाले डॉ. मनीष रावत की लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र

अपील

मैं कौशल गोयल निवासी सेक्टर 55 फरीदाबाद हमारे घर पर दिनांक 21-09-2022 को दिनदहाड़े सुबह 10.30 बजे डकैती पड़ी थी। जिसमें तीन नकाबपोश नवयुवक शामिल थे। डकैती के बाद भी वह सेक्टर में पैदल ही आधा घंटा से अधिक अलग-अलग गलियों में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में नजर आते रहे। पुलिस में डकैती का मुकदमा दर्ज करवा देने के बावजूद हम ने उन्हें पकड़वाने के लिए पुलिस कमिशनर एवं मुख्यमंत्री के खुले दरबार में भी गुहार लगाई थी। लेकिन अभी तक परिणाम शून्य रहा है। इसलिए मैं अब जनसाधारण से अपील करता हूं कि, जो भी इन संदिग्ध अपराधियों के बारे में कोई ठोस सूचना देकर उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद कोगा। उसे 100000 (एक लाख रुपये) का नगद इनाम हम अपनी ओर से देंगे। और यदि आप चाहेंगे तो प्रशासन से भी आपको सम्मानित करवाया जाएगा। ऐसे संदिग्ध अपराधियों के फुटेज पुलिस प्रशासन द्वारा भी उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें आपकी जानकारी के लिए नीचे भेज रहा है। जिससे आप इनकी कद-काठी का अंदाजा लगाकर पुलिस की जांच में भी सहयोग कर सकें। अपराधियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले हर व्यक्ति के बारे में सभी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी।

कृपया इस संदेश को आप सभी अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी माध्यमों से हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आप मेरे निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क कर इनाम की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

कौशल गोयल : 9891123084,
सेठी मालिक जी : - 9582200137

डॉ मनीष के एक काले इतिहास की झलक



डॉ. मनीष के पास वर्ष 2017 में 81 लाख रुपए की ओडी Q7 कार होती थी। जिससे इसने चार राहगीरों को कुचलकर थार दिया और मौके से फरार हो गया था। खोजबीन करके जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसका जवाब था कि वह गाड़ी में मौजूद जरूर था लेकिन गाड़ी ड्राइवर नहीं है। आउटलुक पत्रिका के संवाददाता ने जब इसके सहकर्मियों व अन्य स्टॉफ से बातचीत की तो पता लगा कि इसके पास कोई ड्राइवर नहीं है यह खुद ही हमेशा गाड़ी चलाता है।

इतनी महंगी गाड़ी को लेकर सवाल पैदा हुआ की डॉक्टर मनीष के ऐसे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा इसने इतनी महंगी कार खरीद ली? इस बाबत पत्रिका का संवाददाता अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बाबत कोई घूसखोरी नहीं दी गयी है। नियमानुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले अपने विभाग को इसकी सूचना देनी होती है। सूचना पाने पर विभाग उसके आय के स्रोतों की जांच भी करता है। लेकिन डॉ. मनीष ने इस तरह की सूचना देने की कोई आवश्यकता कभी नहीं समझी।

चार लोगों के मारे जाने के बाद केस को किस तरह से रफा-दफा कर दिया गया तो इसकी तो कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी लेकिन यह तो स्पष्ट है कि मनीष न तो आय से अधिक संपत्ति के जुर्म में तथा चार आदमियों को मारने के जुर्म में कभी जेल नहीं गया और लूट का कार्यक्रम बदस्तर जारी रखे हुए हैं। जाहिर है कि उच्चाधिकारियों एवं राजनेताओं के संरक्षण में डॉ. मनीष का यह सब कारोबार बेखौफ चल रहा है।

एसकेएम ने 26 जनवरी को देश भर में आंदोलन करने का डंका बजाया

करनाल (जेके शर्मा) करनाल के द्वारा कार सेवा गुरुद्वारा में 9 नवम्बर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 घंटे चली बैठक में फसलों की एमएसपी और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए कसों को लेकर सरकार की नीति व आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में 26 जनवरी को राष्ट्र स्तर पर प्रदर्शन पर सहमति बनी। इसकी रणनीति 24 दिसंबर की बैठक में तय होगा। पंजाब के किसान नेताओं ने शिरकत की। इसके बावजूद एसकेएम कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, बल्कि कुछ किसान संगठनों के सदस्यों के बैठक में नहीं पहुंच पाने की वजह बताकर आगामी फैसले के लिए 24 दिसंबर को दोबारा करनाल में बैठक बुलाने का निर्णय किया गया। इसे लेकर क